

कार्यालय प्रधानाचार्य, बी० आर० डी० मेडिकल कालेज, गोरखपुर।

संख्या 34 / बीआरजी/एमसी-26/ईसी-1

दिनांक: 06 जुलाई, 2026

विज्ञापित/सूचना

इस कार्यालय के पत्र संख्या-120/बीआरजी/एमसी-26/ईसी-1 दिनांक 30 जनवरी, 2026 एवं पत्र संख्या-155/बीआरजी/एमसी-26/ईसी-1 दिनांक 12 मार्च, 2026 एवं पत्र संख्या-02/बीआरजी/एमसी-26/ईसी-1 दिनांक 01 अप्रैल, 2026 के द्वारा बी०आर०डी मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर विशिष्टतावार संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य पदों को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। जिसके क्रम में साक्षात्कार दिनांक 13.02.2026 (दिन शुक्रवार), दिनांक 20.03.2026 (शुक्रवार) 17.04.2026 (शुक्रवार) एवं 15.05.2026 (शुक्रवार) को सम्पन्न हुआ है।

उपरोक्त तिथि में सम्पन्न हुए साक्षात्कार के उपरान्त विभिन्न विशिष्टताओं में रिक्त पदों का विवरण निम्नलिखित है। इन पदों पर साक्षात्कार (Walk-in-Interview) दिनांक 14.07.2026 (मंगलवार) को आयोजित किया जायेंगे तथा पद रिक्त होने की दशा में रिक्तियां पूर्ण होने तक प्रत्येक मंगलवार को कार्य दिवस में साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे। शासन द्वारा निर्गत रोस्टर के अनुसार विशिष्टतावार रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है:-

रिक्त पदों का विवरण 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार																
क्र०सं०	विशिष्टता का नाम	आचार्य					सह-आचार्य					सहायक आचार्य				
		SC	UR	OBC	EWS	ST	SC	UR	OBC	EWS	ST	SC	UR	OBC	EWS	ST
1	आर्थोपेडिक्स	1**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	आपथलमोलॉजी	---	---	---	---	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---
3	आब्स्टेट्रिक्स & गाइनोकोलॉजी	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	ब्लड बैंक	1	1	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	---	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---
6	एनाटॉमी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
7	एनेस्थीसिया	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---
8	एनेस्थीसिया (क्रिटिकल)	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	एनेस्थीसिया (ड्रामा)	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
10	एनेस्थीसिया 500 बेडेड बाल रोग संस्थान	---	---	---	---	---	1	2	---	---	1	---	---	1	---	---
11	एनेस्थीसिया (बर्न यूनिट)	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---
12	आटो-राइनो लैरिंगोलॉजी	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	कम्युनिटी मेडिसिन	1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---
14	कार्डियोलॉजी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	कार्डियो वैस्कुलर एवं थोरेसिक सर्जरी	---	1	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---
16	सामान्य मेडिसिन	---	---	---	---	---	2	---	1	---	---	---	1	1	1	---
17	सामान्य सर्जरी	---	---	---	---	---	1	1	---	---	---	---	1	1	---	---
18	सामान्य सर्जरी (ड्रामा)	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	बर्न & प्लास्टिक सर्जरी	---	1	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---
20	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---
22	न्यूरोलॉजी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1

Shr

		SC	UR	OBC	EWS	ST	SC	UR	OBC	EWS	ST	SC	UR	OBC	EWS	ST
23	न्यूरोसर्जरी	---	1**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	मिथोनेटोलॉजी	---	---	1	---	---	---	2	1	---	---	2	---	---	1	---
25	नेफ्रोलॉजी	---	1	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---
26	पीडियाट्रिक	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	1	1	---
27	पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजी	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---
28	पीडियाट्रिक गैस्ट्रो-इन्ट्रोर्नोलॉजी	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---
29	पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---
30	पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	---	---	1	---
31	पीडियाट्रिक प्लास्टिक सर्जरी	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---
32	पीडियाट्रिक सर्जरी	1	---	---	---	---	---	1	1	1	---	1	1	2	---	---
33	पीडियाट्रिक आर्थोपेडिक्स	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---
34	पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
35	पीडियाट्रिक यूरो सर्जरी	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
36	पीडियाट्रिक सर्जिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोर्नोलॉजी	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---
37	पीडियाट्रिक हिमेटा आंकोलॉजी	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---
38	पीडियाट्रिक न्यूरोसर्जरी	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	1	---	---
39	पैथोलॉजी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40	फार्माकोलॉजी	---	1	1	---	---	---	---	---	---	---	---	1	1	---	---
41	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
42	फिजियोलॉजी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---
43	फोरेंसिक मेडिसिन	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
44	बायोकेमिस्ट्री	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
45	माइक्रोबायोलॉजी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---
46	मेडिकल गैस्ट्रोइन्ट्रोर्नोलॉजी	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---
47	यूरोलॉजी	---	1	---	---	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---
48	रेडियोडायग्नोसिस	---	---	---	1	---	1	---	1	---	---	---	---	2	---	---
49	रेडियोथेरेपी	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	---	---	---	---
	सर्जिकल आंकोलॉजी	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---	---	---	1	---	---
	कुल योग	5	10	7	3	0	12	14	13	3	1	11	13	12	5	1

नोट-

1. उक्त तालिका के क्रम संख्या-01 एवं 23 अंकित पद ट्रामा सेन्टर के अर्न्तगत है ।**

- विशिष्टतावार विज्ञापित आचार्य पद हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा एन0एम0सी0 मानकों को पूर्ण करने हेतु आचार्य एवं सह-आचार्य के पदों को Down grade करते हुए सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है।
- यदि विज्ञापित आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो आरक्षित श्रेणी के सापेक्ष अन्य श्रेणी के प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकता है।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् है-

01. संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्यों को शासनादेश संख्या-109/2024/176/71-1001-804-2020 दिनांक 18 जुलाई, 2024 के अनुसार नियत वेतन रु 2,20,000/- सह-आचार्यों के नियत वेतन रु 1,60,000/- एवं सहायक आचार्यों का नियत वेतन रु

Shu



1,20,000/- प्रतिमाह देय है। वेतन के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। शासकीय पत्र सं० 250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2008 चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक- 20 सितम्बर 2018 एवं शासकीय पत्र सं०- 71-1001(099)/304/2021-1-435 1/111674/2021 दिनांक 02 नवम्बर, 2021 के द्वारा राजकीय चिकित्सा शैक्षणिक संस्थाओं के सेवानिवृत्त आचार्य को अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त संविदा के आधार पर आचार्य के पद पर नियुक्त करने हेतु नियत वेतन रु 2,20,000/- प्रतिमाह दिया जाएगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को Medical Council of India, Minimum, Qualification for teacher in Medical Institutions Regulation, 1999 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के का हकदार नहीं होगा।

02. शासनादेश संख्या- 562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10.06.2020 के प्रस्तर-2 के अनुसार संविदा पद नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष तथा सह-आचार्य हेतु 64 एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।

03. एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार सहायक-आचार्य पद के लिये सम्बन्धित विभाग में 01 वर्ष के एस0आर0/ट्यूटर अथवा एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप अनुभव होना अनिवार्य है।

04. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होना आवश्यक है।

05. चयनित चिकित्सा शिक्षक ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।

06. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा।

07. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।

08. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।

09. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी भी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।

10. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।

11. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा एक वर्ष की संतोषजनक सेवाओं के पश्चात् उ0प्र0 शासन के शासनादेशों के अनुरूप ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह अनुबन्ध के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः समाप्त मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।

13 संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नहीं होगा।

Dh

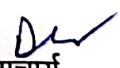
14. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या उसके बदले एक माह का वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जिसे करार या अनुबंध में विनिर्दिष्ट की जायें। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जाएगा कि भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय को घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई आपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।
18. उक्त संविदा पदों पर चयन, महाविद्यालय स्तर पर चयन समिति की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा की जाएगी। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय द्वारा निर्गत आदेशों/निर्देशों के अधीन होगी।
19. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0- 5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त 2019 के अनुसार शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिन्दु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
20. नियुक्ति सम्बन्धी शर्तें कॉलेज की वेबसाइट www.brdmc.ac.in अथवा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ की वेबसाइट www.updgme.com पर प्रदर्शित है।
21. पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
22. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


 प्रधानाचार्य
 राजकीय मेडिकल कॉलेज
 गोरखपुर।

संख्या- 34- तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन, छठा तल, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, मेरठ, आगरा, झांसी, आजमगढ़, प्रयागराज, अम्बेडकर नगर, कन्नौज, जालौन, सहारनपुर, बदायूं को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने का कष्ट करें।
4. प्रभारी अधिकारी-वेबसाइट, बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट www.brdmc.ac.in पर प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।
5. कालेज/चिकित्सालय नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट।


 प्रधानाचार्य
 राजकीय मेडिकल कॉलेज
 गोरखपुर।